मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22/11/19

// आदेश //

क्रमांक: 1646/1320/2019/ए-16, मुख्यमंत्री जन कल्याण (नया सबेरा) योजनांतर्गत वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सहायता राशि के प्रकरणों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) / मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरीय निकाय) द्वारा जन कल्याण पोर्टल पर अनुग्रह राशि ऑनलाइन स्वीकृति की जाती है जिसमें अक्सर ही विलंब की स्थिति निर्मित हो सकती है।

प्रत्येक 15 दिवस में स्वीकृत की गई प्रकरण-वार राशि के आधार पर श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा कोषालय में देयक तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है। कोषालय द्वारा राशि आहरित कर स्थानीय निकाय कार्यालय के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। सी.ई.ओ./सी.एम.ओ. द्वारा प्राप्त राशि संबंधित हितग्रहियों के खाते में अपने स्तर से भेजी जाती है।

राज्य शासन द्वारा वर्तमान व्यवस्था को पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के लिए निम्न प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया गया है:

1. सहायता राशि सीधे सम्बंधित हितग्राही के खाते के DBT के माध्यम से विभागीय मुख्यालय से भेजी जायेगी।
2. पूर्वानुसार जन कल्याण पोर्टल पर आर्थिक सहायता के प्रकरणों के परीक्षण उपरांत स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन स्वीकृत आदेश तथा ई-भुगतान आदेश को डिजिटल साइन किया जा कर भुगतान हेतु श्रमायुक्त को ऑन-लाईन प्रेषित किया जाएगा।
3. डिजिटल साईन युक्त ई-पैमेन्ट आर्डर (ई.पी.ओ.) जनकल्याण पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे।
4. प्रत्येक सप्ताह श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा डिजिटल साईन युक्त ई-पैमेन्ट आर्डर के अनुसार देयक तैयार किया जावेगा तथा बिल को कोषालय में प्रस्तुत कर नोडल बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी।
5. नोडल बैंक में राशि जमा करने के उपरांत श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा स्थानीय निकाय द्वारा प्रेषित डिजिटल-साईन युक्त ई-पैमेन्ट आर्डर को 15 दिवस में कम से कम एक बार में (सिंगल क्लिक कर) नोडल बैंक को अग्रेषित किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रत्येक माह की 15 तथा 30 तारीख को संपादित की जाए।
6. नोडल बैंक द्वारा राशि सीधे हिग्राहियों के खाते में अंतरित की जावेगी, एवं रेस्पोंस फाईल जनकल्याण पोर्टल को ऑनलाइन प्रेषित की जावेगी.

नोडल बैंक रेस्पोंस फाईल में सफल भुगतान / असफल की जानकारी दी जावेगी. असफल भुगतान की स्थिति में असफल होने का कारण भी दिया जावेगा.

निरंतर..2...

8. स्थानीय निकाय कार्यालय द्वारा असफल भुगतान के प्रकरणों में बैंक खाते में सुधार कर नवीन ई-भुगतान आदेश बनाया जावेगा तथा उसे डिजिटल साइन कर पुनः भुगतान हेतु सीधे बैंक के सर्वर पर प्रेषित किया जावेगा।
9. राज्य, जिला एवं निकाय स्तर पर डैशबोर्ड पर सफल, असफल, लंबित प्रकरणों की सांख्यिकी, सूची तथा राशि का विवरण प्रदर्शित होगा। योजनांतर्गत सहायता हेतु पात्रता का परीक्षण एवं वास्तविक पात्र हितग्राही को भुगतान हो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी की होगी तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए की हितग्राही नाम, खाता क्र.,आधार संख्या,आय.एफ.सी. कोड इत्यादि सभी प्रविष्टियॉ पोर्टल पर शुद्ध प्रविष्ट हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

पृ.क्रमांक/1647/1320/2019/ए-16, भोपाल, दिनांक 22/11/19

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्रीजी के निज सचिव।
2. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर।
3. समस्त संभागायुक्त/समस्त कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला पंचायत।
4. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल, आर-23, जोन-1, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सचिव, म.प्र. अंसगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, पुराना सचिवालय, बी-ब्लॉक, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम म.प्र.।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत/नगर पालिका म.प्र.।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, म.प्र.।
9. समस्त श्रम पदाधिकरी, म.प्र.।
10. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एन.आई.सी.,विंध्याचल भवन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं वी.सी. के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को सीधे भुगतान की प्रक्रिया स्पष्टकी जाए।

22/11/19

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग